संख्या— 712 /XXVIII-3-2019-15/20

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—3 देहरादून : दिनांक 27 सितम्बर, 2019

विषय— उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ औषधियों, सर्जिकल सामग्री रसायन, चिकित्सकीय उपकरण एवं इम्पलांट्स के क्रय हेतु नवीन नीति निर्धारण, 2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0—15प/भण्डार/39/2015/9004, दिनांक 09.05.2019 एवं सं0—15प/भण्डार/39/2015/17063, दिनांक 14.08.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली, 2017 के प्रख्यापन के कारण शासनादेश संख्या—932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13.07.2015 जिसके द्वारा चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए प्रख्यापित औषधि क्रय नीति निर्गत की गयी है एवं शासनादेश संख्या—37/XXVIII-4-2015-72(9)/2014, दिनांक 08.01.2015 एवं संशोधित शासनादेश संख्या—271/XXVIII-4-2015-72(9)/2014, दिनांक 16.02.2015 के द्वारा चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए प्रख्यापित उपकरण क्रय नीति निर्गत की गयी है, जो सम—सामयिक नहीं रह गयी है। पूर्व में औषधि एवं उपकरण क्रय नीतियां पृथक—पृथक थी, एवं अब दोनों नीतियों को सम्मिलित करते हुए संयुक्त रूप से नवीन औषधि, उपकरण एवं इम्पलान्ट्स क्रय नीति, 2019 प्रख्यापित की जा रही है।

2— अतः पूर्व में औषधि एवं उपकरण क्रय नीति के संबध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों को अधिकमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली, 2017 के आलोक में उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, चिकित्सकीय उपकरण एवं इम्पलांट्स इत्यादि के क्रय हेतु नवीन औषधि, उपकरण एवं इम्पलांट्स क्रय नीति, 2019 को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :—

अध्याय—1

उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ औषधि क्रय हेतु नीति निर्धारण :—

1. उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, चिकित्सकीय उपकरण व आर्थोपेडिक इम्पलांट्स का क्रय अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय—1 में दिये गये सामान्य निर्देश में दिये गये नियमों के अतिरिक्त विशेषतः अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांतो, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता, मितव्ययता का पालन व इस नीति के शेष भाग में दी गयी नियम व शर्तों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
2. राजकीय चिकित्सालयों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, दुर्घटना एवं अति आवश्यक जीवनरक्षक औषधियों का क्रय बिना निविदा के उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम (33) में दी गयी सीमा तक निम्न प्रतिबन्धों के अधीन किया जा सकेगा :—

    2.1 औषधियों का क्रय केवल ख्यातिप्राप्त निर्माता फर्मों की स्थानीय/नजदीकी बडे मार्केट में उपलब्ध औषधियों का ही किया जाय। औषधियां केवल जेनरिक नाम से क्रय की जायेगी व उन्हीं औषधियों/रसायन/सर्जिकल सामग्री का क्रय किया जायेगा, जो ई0डी0एल0 में अंकित हों।

    2.2 प्रत्येक अवसर पर औषधियों के क्रय से सम्बन्धित समस्त सूचना [illegible] किये जाने के औचित्य और मूल्य इत्यादि सहित सक्षम अधिकारी [illegible]

स्तर के अधिकारी को अवगत कराने के पश्चात् ही क्रय करेंगे व उपरोक्त की कार्योत्तर स्वीकृती चिकित्सा प्रबन्धन समिति/रोगी कल्याण समिति से भी प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें। इस प्रकार क्रय की गयी समस्त औषधि का अंकन ई–औषधि/डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल पर किया जाना आवश्यक होगा।

2.3 उपरोक्तानुसार औषधियों का क्रय निम्नतम दर पर स्थानीय बाजार से कय की जा सकेगी, जिस हेतु बीजक पर क्रेता अधिकारी द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम–33 में निर्धारित प्रमाण पत्र भी अभिलिखित किया जाना अनिवार्य होगा।

3. प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक आगामी वित्तीय वर्ष हेतु क्रय की जाने वाली औषधियों का पूर्वाकंलन (forcasting)/मांग पत्र राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों महिला चिकित्सालयों, बेस चिकित्सालयों एवं शेष राजकीय चिकित्सालयों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से डी0वी0डी0एम0एस0 (Drug and Vaccine Distribution Manegement System) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर संकलित कर लिया जाय। इस प्रकार संकलित मात्रा के आधार पर ही औषधियों का क्रय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पुनः अक्टूबर माह में उपरोक्त प्रक्रिया की जायेगी, ताकि वास्तविक वस्तुस्थिति के आंकलन के आधार पर पूर्व में संकलित की गयी मात्रा का संशोधन कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त भी आवश्यकता पडने पर उपरोक्त पूर्वाकंलन का संशोधन किया जा सकता है। केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा यह भी प्रयास किया जाय, कि प्रत्येक अवसर पर 03 माह का आवश्यक औषधियों का भण्डारण buffer stock के रूप में शेष रहे, ताकि stock out की स्थिति उत्पन्न न हो।

4. शासनादेश संख्या–644/XXVIII-4-2014-28/2012, दिनांक–21.05.2014 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–50(9)/2010–पी0आई0–4, दिनांक 10.12.2013 में निहित 103 औषधियों के सम्बन्ध में समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेशों में निहित मार्गदर्शन के अनुसार औषधियों का क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर/न्यूनतम दर पर सी0पी0एस0यू0ई0 से चिकित्सालयों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर राज्य /जिला स्तरीय क्रय समिति की संस्तुति के उपरांत ही वित्तीय अधिकारों की सीमा तक किया जाय। इससे अधिक के क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. सी0पी0एस0यू0ई0 हेतु आरक्षित 103 औषधियों को छोड़कर ई0डी0एल0 में सम्मिलित शेष समस्त औषधियों का क्रय ई–प्रोक्योरमेंट के अन्तर्गत निविदा प्राप्ति की कार्यवाही उत्तराखण्ड राज्य के Public Procurement Portal www.uktenders.gov.in से विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय।। Procurement Portal के माध्यम से केवल ऑनलाइन निविदा ही प्राप्त की जाय। ई–टैण्डर से प्राप्त दर अनुबंध के अन्तर्गत औषधि का कय केन्द्रीय कय समिति के अनुमोदन के उपरान्त परिधिगत अधिकारी/विभागाध्यक्ष अपने वित्तीय अधिकारों की सीमा तक कर सकेंगे। इससे अधिक के क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. प्रत्येक निविदादात्री फर्म से निविदा की अनुमानित लागत की धरोहर राशि (अर्नेष्ट मनी) व परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 के अनुसार होगी। आपूर्तिकर्ता फर्म को गलत अभिलेख प्रस्तुत करने, आपूर्ति न करने, औषधियों के अधोमानक पाये जाने, निविदा व संविदा में उल्लिखित किसी शर्त के अपूर्ण अथवा उसका उल्लंघन होने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा धरोहर राशि/परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी जब्त की जाय।

7. राज्य के भौगोलिक सीमा के क्षेत्र में विर्निमित करने वाले लघु, कुटीर उद्योग इत्यादि को क्रय/मूल्य वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय–2 के नियम–32 एवं उक्त हेतु समय–समय पर किये जाने वाले संशोधन के अधीन ही प्रदान की जायेगी।

8. उत्तराखण्ड राज्य में समस्त अधिकारियों द्वारा केवल आवश्यक औषधि सूची (ई0डी0एल0) में निहित औषधियों सर्जिकल सामग्री एवं नैदानिक सामग्री (Diagnostics) का ही क्रय किया जायेगा, ई0डी0एल0 के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की औषधियों, सर्जिकल सामग्री एवं नैदानिक सामग्री का क्रय केन्द्रीय स्तर, जनपद स्तर व विभिन्न अन्य अधिप्राप्तियां यथा मेले इत्यादि में नहीं किया जायेगा। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी आवश्यक औषधि सूची (ई0डी0एल0) का समय–

समय पर आवश्यकतानुसार परीक्षण वर्तमान औषधि क्रय नीति के प्रख्यापन के उपरान्त महानिदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

9. महाऔषधि नियंत्रक, भारत सरकार/औषधि नियंत्रक, उत्तराखण्ड राज्य/मा0 न्यायालयों द्वारा जिन औषधियो अथवा उनके सम्मिश्रण (combination) को प्रतिबन्धित किया गया हो तो, उनका क्रय नहीं किया जायेगा।

10. केन्द्रीय स्तर पर औषधियों का 02 वर्ष हेतु दर अनुबन्ध निम्न प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:–

10.1 दर अनुबन्ध के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली औषधियों के लिए वार्षिक आधार पर उनकी आंकलित आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भी दर अनुबन्ध किया जाए।

10.2 दर अनुबन्ध प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होगा, इसके पश्चात् दर अनुबन्ध को आगे बढाये जाने हेतु छूट प्रदान किये जाने की आवश्यकता हो तो, राज्य सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

10.3 दर अनुबन्ध को आपूर्तिकर्ता की सहमति से 01 वर्ष का अतिरिक्त समय विस्तार महानिदेशक द्वारा केन्द्रीय क्रय समिति की संस्तुति के उपरान्त, राज्य सरकार के सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जाय।

10.4 महानिदेशक द्वारा किये गये दर अनुबन्ध की दरों एवं शर्तों पर औषधियों का क्रय जनपदों के अधिकारियों द्वारा औषधियों हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ जिला स्तरीय क्रय समिति की संस्तुति पर किया जा सकेगा।

10.5 यदि अनुबन्ध के निष्पादन के दौरान औषधियों की निविदा में निर्धारित दरें अनुबन्धित फर्म द्वारा कम की जाती है अथवा फर्म किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, राज्य या केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम को दर अनुबन्ध में क्रय मूल्य से कम मूल्य पर आपूर्ति करती है, तो फर्म तत्काल इसकी सूचना क्रेता विभाग को देगी एवं विभाग को भी उन्हीं दरों पर औषधियों की आपूर्ति करेगी। इस हेतु फर्म से अनुबन्ध के समय एक शपथ पत्र प्राप्त किया जाय।

10.6 प्रत्येक निविदा खुलने के पश्चात दर संविदा की अवधि तक टैक्स ढांचे में परिवर्तन यथा शासनादेश प्रभावी होगा।

11. राज्य एवं जनपद स्तर पर औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन व ओर्थोपेडिक इम्पलांट के क्रय हेतु समितियों का गठन निम्नानुसार किया गया है :–

11.1 औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायनों व ओर्थोपेडिक इम्पलांट के क्रय हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी विशिष्टता निर्धारण, मांग पत्र, निविदा में प्रतिभागी फर्मों के प्रपत्रों के तकनीकी मूल्यांकन व प्रदर्शन हेतु समिति।

1. निदेशक (पी0एस0बी0), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड –अध्यक्ष
2. अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड –सदस्य
3. संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक (भण्डार), स्वा0 सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड। –सदस्य/सचिव
4. वित्त अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड (केवल निविदा में प्रतिभागी फर्मों के तकनीकी प्रपत्रों के मूल्यांकन हेतु) –सदस्य
5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, द्वारा नामित जनरल सर्जन उत्तराखण्ड (केवल सर्जिकल सामग्री के प्रदर्शन हेतु) –सदस्य
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, सर्जन उत्तराखण्ड (केवल ओर्थोपेडिक इम्पलांट की तकनीकी विशिष्टता निर्धारण व प्रदर्शन हेतु) –सदस्य
7. औषधि नियंत्रक अथवा उनका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड –सदस्य
8. चीफ फार्मासिस्ट, केन्द्रीय औषधि भण्डार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड। –सदस्य/कन्वेनर

11.2 औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन व ओर्थोपेडिक इम्पलांट के वित्तीय भाव पत्र पर व अन्य पर निर्णय लिये जाने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड। – अध्यक्ष
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, के प्रतिनिधि। – सदस्य
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड। – सदस्य

4. निदेशक वित्त, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड। – सदस्य
5. निदेशक, पी0एस0बी0 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड। – सदस्य
6. औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड। – सदस्य
7. मुख्य/प्रमुख अधीक्षक, पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून। – सदस्य
8. संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक(भण्डार), स्वा0 सेवा महानिदे0, उत्तराखण्ड। –सदस्य/सचिव

11.3 औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन व ओर्थोपेडिक इम्पलांट के वित्तीय भाव पत्र पर व अन्य पर निर्णय लिये जाने हेतु जिला स्तरीय क्रय समिति।

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी। – अध्यक्ष
2. प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय। – सदस्य
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (भण्डार)। –सदस्य सचिव
4. उप/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी। – सदस्य
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। – सदस्य
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/वरिष्ठ महिला चिकित्सा अधिकारी जिला महिला/जिला चिकित्सालय। – सदस्य
7. चीफ फार्मासिस्ट (भण्डार)। – सदस्य/संयोजक

नोट – जिन चिकित्सालयों में प्रबन्धन समिति/रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है, वे चिकित्सालय प्रबन्धन समिति/रोगी कल्याण समिति के गठन से सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार ही औषधियों का क्रय कर सकेंगे एवं क्रय हेतु निर्णय लिये जाने के लिए प्रबन्धन समिति/रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष पदेन जिला अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी (यथा शासनादेशानुसार) का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

12. औषधियों के क्रय हेतु बजट की 70 प्रतिशत धनराशि महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के निस्तारण पर रहेगी तथा 30 प्रतिशत धनराशि का निस्तारण परिधिगत अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।
13. आपूर्तिकर्ता फर्म को आपूर्तित औषधियों के 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान 01 माह के अन्दर एवं शेष धनराशि का भुगतान औषधि की गुणवत्ता सम्बन्धी जांच रिपोर्ट में standard quality पाये जाने के 30 दिन के अन्दर किया जाय।
14. निविदा प्रपत्र का प्रारूप एवं उनका शुल्क आदि का निर्धारण महानिदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। निविदाओं को ई–टेण्डर के माध्यम से आमंत्रित किया जायेगा, तथा ई–निविदा के अपलोड की तिथि को निविदा में उल्लिखित शर्तें जैसे–स्पेसिफिकेशन, पंजीकरण एवं अन्य अभिलेख आदि पूर्ण होने चाहिए। धरोहर राशि एवं औषधियों के नमूने तकनीकी निविदा खुलने की निर्धारित तिथि व समय से पहले जमा कराये जाने होंगे।
15. निविदा के माध्यम से औषधियों के क्रय हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म की अर्हता की शर्तों का निर्धारण :–

15.1 औषधियों का क्रय मूल ख्याति प्राप्त औषधि निर्माताओं से ही किया जायेगा, जिनका विगत तीन वर्षों का प्रतिवर्ष औसत टर्नओवर कम से कम रू0 30.00 करोड़ प्रतिवर्ष होगा जो कि 03 वर्षों के टर्नओवर को जोड़कर आंगणित किया जायेगा तथा औषधि निर्माताओं का न्यूनतम टर्नओवर रू0 20.00 करोड़ प्रतिवर्ष होगा। उत्तराखण्ड में स्थित औषधि उत्पादकों को इस शर्त के साथ छूट देते हुये तीन वर्षों का प्रतिवर्ष न्यूनतम औसत टर्नओवर रू0 10.00 करोड़ प्रतिवर्ष होगा।

15.2 रसायन व सर्जिकल आइटमों हेतु विगत तीन वर्षों का प्रतिवर्ष न्यूनतम टर्नओवर कम से कम रू0 1.00 करोड प्रतिवर्ष होगा। उपरोक्तानुसार औषधियों, रसायन एवं सर्जिकल आईटम्स के टर्नओवर के मूल्यांकन हेतु फर्मों से सी0ए0 द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र व विगत तीन वर्षों की बैंलेस शीट की प्रतियां ली जाएगी।

15.3 औषधियों का क्रय केवल उन्हीं फर्मों से किया जायेगा, जिस फर्म के पास G.M.P., GLP पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ–साथ WHO GMP (अर्थात् Certificate of Pharmaceuticals Product) का पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। निर्माता फर्मों द्वारा अपनी इकाई में स्थापित लैब से औषधि का उत्तम मानक कोटि का प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

15.4 निविदा में उल्लिखित औषधियों का निविदा फर्म द्वारा अपना उत्पादन व विक्रय का तीन वर्ष के Manufacturing and Marketing Certificate, performance certificate, capacity and quality certificate संबंधित प्रांत के औषधि नियंत्रक द्वारा प्रमाणित करा कर उपलब्ध कराया जाना होगा। प्रत्येक निविदादात्री फर्म को अपने लाईसेंस की तथा उस पर अनुमोदित उन औषधियों, जिनमें वे निविदा में प्रतिभाग कर रहे हैं, की अद्यतन सूची अपने प्रांत के औषधि नियंत्रक से सत्यापित कराते हुए निविदा में उपलब्ध करायी जायेगी।

15.5 विदेश से आयातित औषधियों व अन्य सामग्री हेतु direct importer वैध import license व भारत के महाऔषधि नियंत्रक का उक्त के सम्बन्ध में समुचित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त निविदा में प्रतिभाग कर सकते हैं।

15.6 यदि किसी प्रोप्राइटरी ड्रग (proprietary drug) का निर्माण किसी विशेष फर्म द्वारा ही किया जाता है अथवा किसी औषधि हेतु भारत में एकल निर्माता फर्म है, तो वह फर्म निविदा में प्रतिभाग कर सकती है एवं इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित राज्य के औषधि नियंत्रक से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उनका क्रय अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमों के अधीन ही किया जाय।

15.7 जिन औषधि आपूर्तिकर्ताओं का उत्तराखण्ड राज्य में डिपो/सी0एण्डएफ0 नहीं है, उनके फर्म द्वारा उत्पादित औषधि उत्तराखण्ड में स्थित स्थानीय वितरक से अनुबंध के उपरांत ही उनके माध्यम से वितरण कर सकता है, किन्तु बीजक उत्तराखण्ड राज्य के ही अनुमन्य होगा।

15.8 सम्बन्धित फर्म को अपने राज्य के औषधि नियन्त्रक से वर्तमान में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट–1940 एवं समय–समय पर संशोधित और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत दोषी न ठहराये जाने का Non Conviction प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15.9 निविदादाता फर्म उत्तराखण्ड राज्य/अन्य राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राज्य संगठन /केन्द्रीय संगठन द्वारा जिन औषधियों/उत्पाद हेतु जितने समय तक के लिए ब्लैकलिस्ट/डिबार की गयी हों, उस अवधि की समाप्ति तक उस उत्पाद हेतु निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकती है। यह नियम सी0पी0एस0यू0ई0 फर्म पर भी समान रूप से प्रभावी होगा। इस हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि जिस उत्पाद हेतु उनके द्वारा आवेदन किया जा रहा है उसके लिए वे किसी भी राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राज्य संगठन/केन्द्रीय संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट/डिबार नहीं हैं। यदि किसी संस्था द्वारा सम्पूर्ण फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो उस फर्म से ब्लैक लिस्ट किये जाने की अवधि तक औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन का क्रय नही किया जायेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रांत के औषधि नियंत्रक द्वारा निर्गत किये जाने वाले ब्लैक लिस्टेड व Non Conviction प्रमाण–पत्र के आधार पर ही कार्यवाही की जायेगी।

16. कोई भी औषधि डी0पी0सी0ओ0 में प्रदत्त सीलिंग प्राइज से अधिक दर पर क्रय नहीं की जायेगी।

17. हीमोफीलिया, एन्टी रैबीज, एन्टी स्नेक आदि औषधियों हेतु एक बार टेण्डर कराने पर यदि कोई निर्माता कम्पनी टेण्डर में प्रतिभाग नही करती हैं, तो इन औषधियों की महत्ता/समयान्तर्गत उपलब्धता के दृष्टिगत भारत सरकार के वैध दर अनुबन्ध यथा ई0एस0आई0, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (AIIMS) इत्यादि की निर्धारित दरों पर वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन में निर्धारित वित्तीय सीमा तक, महानिदेशक केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से व परिधिगत अधिकारी जिला स्तरीय क्रय समिति/चिकित्सा प्रबन्धन समिति/रोगी कल्याण समिति के अनुमोदन के उपरान्त कर सकेंगे।

18. दो बार निविदा कराने के पश्चात यदि किसी औषधि, सर्जिकल सूचर, एक्स–रे फिल्मस, सर्जिकल ग्लब्स, डिस्पोजेबल सीरिंज, आई0वी0सैट, गॉज बैंडेज, काटन, मैकिन्टोश रबर शीट एवं अन्य सामग्री, जो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, का क्रय भारत सरकार के वैध दर अनुबन्ध यथा ई0एस0आई0, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (AIIMS) इत्यादि की निर्धारित दरों पर

वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन में निर्धारित वित्तीय सीमा तक महानिदेशक केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से व परिधिगत अधिकारी जिला स्तरीय क्रय समिति/चिकित्सा प्रबन्धन समिति /रोगी कल्याण समिति के अनुमोदन के उपरान्त कर सकेंगे।

19. औषधियों, सर्जिकल सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्धारण:–

19.1 आपूर्तिकर्ता फर्म को औषधियों/सर्जिकल सामग्री की in-house test report प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

19.2 क्रय की गयी समस्त औषधि/सर्जिकल सामग्री के समस्त बैच का रैण्डम नमूने महानिदेशक द्वारा निदेशक (भण्डार) की अध्यक्षता में अनुमोदित समिति द्वारा एकत्रित किये जायेंगे, जिन पर फर्म के नाम को छुपाते हुए एक पैकेट में सील किया जायेगा एवं जिस पर समिति के सदस्यों द्वारा नमूना हस्ताक्षर किये जायेंगे। इस प्रकार एकत्रित नमूनों को शासन द्वारा अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओं/प्रयोगशालाओं से विश्लेषण कराया जायेगा, ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। औषधि के नमूनों की जाँच हेतु शासन द्वारा अनुमोदित जाँचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुरूप जाँच करायी जायेगी। यह प्रक्रिया क्रय की गयी औषधि के 01 माह के भीतर सुनिश्चित की जायेगी।

19.3 रू0 1.00 लाख तक की मात्रा के टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, आई0वी0 फ्लूयड्स व सिरप इत्यादि के लिए 02 बैच, 1.00 लाख से अधिक व 3.00 लाख तक की मात्रा के टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, आई0वी0 फ्लूयड्स व सिरप इत्यादि के लिए 05 बैच, 3.00 लाख से अधिक व 5.00 लाख तक की मात्रा के टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, आई0वी0 फ्लूयड्स व सिरप इत्यादि के लिए 07 बैच व 5.00 लाख से अधिक तक की मात्रा के टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, आई0वी0 फ्लूयड्स व सिरप इत्यादि के लिए 01 बैच प्रति लाख की जांच पर आने वाले शुल्क का वहन महानिदेशालय स्तर से किया जायेगा। उपरोक्त से अधिक बैचो की आपूर्ति की स्थिति में गुणवत्ता जांच पर आने वाले अतिरिक्त व्यय की कटौती फर्म के बीजकों से की जायेगी।

19.4 वैक्सीन, सीरा व बायोलॉजिक उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण के सम्बंध में आपूर्तिकर्ता फर्म से राजकीय प्रयोगशाला से प्रदत्त गुणवत्ता जांच प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। राजकीय प्रयोगशाला से वैक्सीन, सीरा व बायोलॉजिक उत्पादों के आपूर्तित बैच की रिपोर्ट गुणात्मक प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में सामान्यतः उनका पुनः गुणवत्ता परीक्षण नहीं कराया जायेगा।

20. गुणवत्ता जांच में इस्तेमाल के लिए अयोग्य घोषित आपूर्ति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश :–

20.1 गुणवत्ता जांच में अयोग्य पायी गयी समस्त औषधियो/सर्जिकल सामग्री की सम्पूर्ण जिम्मेंदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।

20.2 यदि आपूर्ति की गयी सामग्री अधोमानक कोटि की पायी जाती है, तो जाँच में हुये समस्त व्यय को आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

20.3 आपूर्ति औषधि की समस्त मात्रा को 60 दिन के अन्दर नई औषधि से आपूर्ति पुनः की जानी होगी चाहें उसमें से कुछ भाग का उपभोग कर लिया गया हो।

20.4 इसके अतिरिक्त क्रेता, आपूर्तिकर्ता फर्म के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र होगा।

20.5 आपूर्तिकर्ता फर्म को गलत अभिलेख प्रस्तुत करने पर, आपूर्ति न करने पर, औषधियों के अधोमानक होने पर अथवा किसी अन्य कमी के लिए ब्लैक लिस्ट एवं डिबार किया जा सकता है। डिबार अथवा ब्लैक लिस्ट की समय–सीमा 03 वर्ष होगी,

20.6 डिबार/ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही शासन के अनुमोदनोपरांत की जायेगी।

21. औषधियों, सर्जिकल सामग्री व रसायन की आपूर्ति के सम्बन्ध में Shelf life का निर्धारण :–

21.1 आपूर्ति के समय आपूर्तित समस्त औषधियों, सर्जिकल सामग्री व रसायन को उसके निर्माण की तिथि व कालातीत अवधि के अन्तराल का 1/6 से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए अर्थात् यदि कोई औषधि निर्माण तिथि से 03 वर्ष के उपरान्त कालातीत होती है तो ऐसी औषधि आपूर्ति के समय निर्माण तिथि से 06 माह से अधिक पुरानी नहीं होगी।

21.2 वैक्सीन, जैविक उत्पाद एवं आयातित औषधियों/सामग्रियों के सम्बन्ध में आपूर्ति के समय उपरोक्तानुसार जीवन अवधि 3/5 (60 प्रतिशत) अथवा अधिक अवशेष होनी चाहिए।

21.3 सामान्य परिस्थिति में उपरोक्तानुसार ही औषधियां स्वीकार की जायेगी। विशेष परिस्थिति में महानिदेशक की अनुमति से 03 माह की अतिरिक्त छूट इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि छूट प्रदान करने से पूर्व आपूर्तिकर्ता फर्म से यदि औषधियां का उपभोग कालातीत तिथि से पूर्व नहीं हो पाता है तो फर्म शेष मात्रा को नवीन उत्पाद से प्रतिस्थापित करेगा, का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया गया हो। परन्तु यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस प्रकार आपूर्ति की जा रही औषधियों का जीवन 50 प्रतिशत शेष हो।

22. औषधि के प्रत्येक लेबल, कार्टन व अन्य पैकिंग प्रदर्शन पर "यू0के0जी0 सप्लाई" "नॉट फार सेल" इन्डेलिबल इंक से लिखा जाना अनिवार्य होगा। औषधियों की पैकिंग हेतु दिये गये स्पेसिफिकेशन ही मान्य होंगे।

अध्याय–2

उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ चिकित्सीय उपकरणों के क्रय हेतु नीति निर्धारण :–

1.उपकरण के क्रय हेतु सामान्य प्रशासनिक शर्तें :–

1. उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, चिकित्सीय उपकरण व आर्थोपेडिक इम्पलांट्स का क्रय अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय–1 में दिये गये सामान्य निर्देश में दिये गये नियमों के अतिरिक्त विशेषतः अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांतों, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता, मितव्ययता का पालन व इस नीति के शेष भाग में दी गयी नियम व शर्तों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

1.1 निविदा की सामान्य शर्तें यथा ई0एम0डी0, प्रतिभूति धनराशि, निविदा प्रपत्र का प्रारूप एवं उसके शुल्क आदि व अन्य शर्तों का निर्धारण, वर्तमान नीति को दृष्टिगत रखते हुये महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 द्वारा निर्धारित नियमों व अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त के आलोक मे नियमानुसार किया जाय।

1.2 केन्द्रीय क्रय समिति एक समय में वित्तीय अधिकारो के प्रतिनिधायन–2018 एवं समय–समय पर यथा संशोधित के अनुरूप महानिदेशक की अधिकार सीमा तक कर सकेंगे तथा उस से अधिक का क्रय शासन के अनुमोदन से किया जायेगा। जिन उपकरणों का क्रय किया जा रहा हैं, उनकी मात्रा का आंकलन जनपद के चिकित्सालयों की मांग का समुचित परीक्षण एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये किया जाय।

1.3 प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक आगामी वित्तीय वर्ष हेतु क्रय की जाने वाले उपकरणों का पूर्वाकलन/मांग पत्र राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, महिला चिकित्सालयों, बेस चिकित्सालयों एवं शेष राजकीय चिकित्सालयों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर संकलन कर लिया जायेगा। इस प्रकार संकलित मात्रा के आधार पर ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा। प्राथमिक रूप से आई0पी0एच0एस0 में निर्धारित मानकानुसार उपकरणों का ही क्रय किया जाएगा। आई0पी0एच0एस0 मानकों के इतर उपकरणों के क्रय के सम्बंध में महानिदेशक स्तरीय केन्द्रीय क्रय समिति निर्णय लिये जाने में सक्षम होगी।

1.4 उपरोक्तानुसार प्रस्तुत मांग पत्र व उपलब्ध बजट के सापेक्ष केन्द्रीय क्रय समिति प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उपकरणों का क्रय करेगी। उपकरणों का क्रय ई–प्रोक्योरमेंट के अन्तर्गत निविदा प्राप्ति की कार्यवाही उत्तराखण्ड राज्य के Public Procurement Portal www.uktenders.gov.in में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय।

1.5 प्रदेश के चिकित्सालय हेतु उपकरण क्रय किये जाने के सम्बन्ध में ऐसे चिकित्सालय, जिसमें उपकरण स्थापित किया जाना हैं, के चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख अधीक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र महानिदेशक, [illegible]

कराया जायेगा कि वास्तविक रूप से ऐसे उपकरण की आवश्यकता उस चिकित्सालय में अपेक्षित है तथा तत्सम्बन्धी उपकरण को संचालित किये जाने हेतु उसमें आवश्यक चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल स्टॉफ, आवश्यक विद्युत संयोजन, स्थान उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।

1.6 जनपद स्तर पर राजकीय चिकित्सालयों के दैनन्दनीय उपयोग में आने वाले उपकरणों का क्रय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सालय के प्रभारी आवश्यकता के अनुसार अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन करते हुए वित्तीय अधिकारों की सीमा तक कर सकेंगे इससे अधिक के क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

1.7 राज्य स्तर पर विभिन्न बडे उपकरणों हेतु किये गये मात्रा अनुबन्ध की दरों, शर्तों व फर्म से उन उपकरणों का क्रय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सालय के प्रभारी विधायक निधि, सांसद निधि, सी0एस0आर0, जिला योजना अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष महानिदेशक से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत कर सकेंगे।

2. उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ उपकरणों के क्रय हेतु समिति का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :–

2.1 उपकरणों के क्रय हेतु केन्द्रीय क्रय समिति –

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।	– अध्यक्ष
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, के प्रतिनिधि।	– सदस्य
3. निदेशक वित्त, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।	– सदस्य
4. निदेशक, पी0एस0बी0, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।	– सदस्य
5. अपर निदेशक, चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड	– सदस्य
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून	– सदस्य
7. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक(भण्डार), स्वा0 सेवा महानिदे0, उत्तराखण्ड।	– सदस्य/संयोजक
8. बायोमेडिकल इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून	– सदस्य

2.2 उपकरणों के क्रय हेतु तकनीकी विशिष्टता निर्धारण, मार्केट सर्वे व प्रदर्शन समिति –

1. निदेशक (भण्डार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
(केवल तकनीकी विशिष्टता एवं मार्केट सर्वे हेतु अध्यक्ष)
2. संयुक्त निदेशक (भण्डार)/अपर निदेशक (भण्डार), स्वा0 सेवा महानिदे0, उत्तराखण्ड
(प्रदर्शन समिति हेतु अध्यक्ष व तकनीकी विशिष्टता एवं मार्केट सर्वे हेतु सदस्य)
3. बायोमेडिकल इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
(प्रदर्शन समिति, तकनीकी विशिष्टता एवं मार्केट सर्वे हेतु सदस्य)
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ।
(प्रदर्शन समिति, व तकनीकी विशिष्टता एवं मार्केट सर्वे हेतु सदस्य)
5. वित्त अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
(केवल तकनीकी विशिष्टता एवं मार्केट सर्वे हेतु सदस्य)

नोट– केन्द्रीय क्रय समिति वित्तीय भावपत्रों को खोले जाने व वित्तीय अधिकारों की सीमा तक उपकरणों के क्रय करने के सम्बंध में निर्णय लिये जाने हेतु सक्षम होगी उससे अधिक सीमा हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रशासनिक विभाग उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समितियों के लिए समिति के कुल 2/3 से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में ही कोरम पूरा माना जायेगा।

3. प्रतिभागी फर्मों की निविदा हेतु अर्हता के मानदण्ड का निर्धारण (ELIGIBILITY CRITERION) -

3.1 उपकरणों की आपूर्ति हेतु निविदादात्री फर्म का सम्बन्धित राज्य के उद्योग विभाग में पंजीकरण आवश्यक होगा।

3.2 आपूर्तिकर्ता फर्म का वर्तमान में सम्बन्धित राज्य के जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य होगा तथा जी0एस0टी0 जमा किये जाने का नवीनतम प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.3 महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरणों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा –

3.3.1 प्रथम श्रेणी उन उपकरणों की होगी, जिनकी प्रति नग लागत रू0 1.00 लाख या उससे अधिक है। इन उपकरणों हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म/उत्पादक फर्म का औसत टर्नओवर रू0 5.00 करोड़ प्रतिवर्ष औसत की दर से होना चाहिए, जो कि 03 वर्षों के टर्नओवर को जोड़कर आंगणित किया जायेगा।

3.3.2 द्वितीय श्रेणी उन उपकरणों की होगी, जो सामान्य प्रकार के हैं एवं जिनकी प्रति नग लागत रू0 1.00 लाख या उससे कम है यथा चिकित्सालय फर्नीचर, सर्जिकल उपकरण, चिकित्सकीय उपकरण व चिकित्सा साहित्य आदि उपकरणों के लिए आपूर्तिकर्ता फर्म/उत्पादक फर्म का विगत तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर कम से कम रू0 1.00 करोड़ प्रतिवर्ष औसत की दर से होना चाहिये, जोकि 03 वर्षो के टर्नओवर को जोड़कर आंगणित किया जायेगा।

3.4 उत्तराखण्ड में स्थित प्रादेशिक औद्योगिक इकाईयों हेतु भी उक्त शर्त अनुमन्य होगी। उक्त टर्नओवर होलसेल प्राइस के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। उपकरणों का क्रय उन्हीं फर्मों से किया जायेगा, जिनका Net worth positive होगा। इस हेतु उन्हें सी0ए0 से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

3.5 उत्पादक फर्म को आपूर्ति किये जाने वाले उपकरणों को बनाने एवं आपूर्ति का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा। यदि आपूर्तिकर्ता फर्म निविदा में प्रतिभाग करती हैं, तो प्रथम श्रेणी के उपकरण हेतु मूल निर्माता फर्म से अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक उपकरण के लिए एक ही अधिकृत विक्रेता/मूल निर्माता फर्म निविदा में प्रतिभाग कर सकता है।

3.6 द्वितीय श्रेणी के उपकरण जिनकी प्रति नग लागत रू0 1.00 लाख या उससे कम की आपूर्ति हेतु मूल निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत विक्रेता एक या एक से अधिक भी प्रतिभाग कर सकते हैं, विशेष रूप से जहाँ विभिन्न उपकरणों को एकत्रित कर एसेम्बल किया जाना हो। उदाहरण के तौर पर ALS अथवा BLS Ambulances व अन्य टर्न–की के प्रोजेक्टो में विभिन्न उपकरणों को assemble किये जाने की स्थिति में निविदा में प्रतिभागी फर्म, उपकरण का नियमानुसार क्रय कर उनको स्थापित कर सकती हैं, जिसके लिए निविदा में प्रतिभागी फर्म को अधिकृत विक्रेता होने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु ऐसी स्थिति में निविदा में प्रतिभागी फर्म मूल निर्माता फर्म का वैध वारंटी कार्ड अथवा स्वयं द्वारा निर्गत वारन्टी इत्यादि प्रदान करने के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त सम्बन्ध में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु बिन्दु सं0–4 में उल्लिखित शर्तो को पूर्ण करना भी अनिवार्य होगा।

4. उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु शर्तें निम्नवत् है :–

4.1 आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा उत्पादित उपकरणों की आपूर्ति करने तथा उपकरणों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई समझौता नही किया जायेगा। जिन उपकरणों का क्रय किया जाना है, उनके तकनीकी स्पेसीफिकेशन विस्तृत रूप से तकनीकी विशेषज्ञ/विषय विशेषज्ञ द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा उसके आधार पर ही निविदायें आमंत्रित की जाय।

4.2 प्रथम श्रेणी के उपकरण के लिये आई0एस0ओ0 13485 सीरीज/15001/80601 सीरीज व सी0ई0 सर्टिफिकेट अथवा यू0एस0एफ0डी0ए0 एवं रेडियोलॉजी के उपकरणों हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त ए0ई0आर0बी0 का प्रमाण–पत्र व मेडिकल इलेक्ट्रीकल उपकरणों के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त आई0ई0सी0 60601 सीरीज अनिवार्य होगा।

4.3 द्वितीय श्रेणी के उपकरणों के लिए आई0एस0ओ0 9000 सीरीज/13485 सीरीज/15001/80601 सीरीज अथवा आई0एस0आई0 अथवा बी0आई0 एस0 व मेडिकल इलेक्ट्रीकल उपकरणों के लिए आई0ई0सी0 60601 सीरीज का प्रमाण–पत्र पर्याप्त होगा।

4.4 क्रय किये जाने वाले प्रथम श्रेणी के उपकरण Internet Protocol Version -6 (IPV-6) मानक की शर्तों के अनुरूप होंगे एवं इस हेतु फर्म द्वारा प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जाय।

4.5 उपकरण क्रय किये जाने से पूर्व उपकरणों का डिमान्सट्रेशन देख भी लिया जाय, जिसमें उपकरण को चलाने रख–रखाव आदि का समावेश होगा, साथ ही संबन्धित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का दायित्व भी सम्मिलित होगा। इसके लिए सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म से अनुबन्ध किया जायेगा, जो फर्म तकनीकी बिड में क्वालिफाई कर लेगी ऐसी फर्म को प्रदर्शन में भाग लेना अनिवार्य होगा। यदि फर्म प्रदर्शन में प्रतिभाग नही करती हैं, तो ऐसी फर्म की ई0एम0डी0 जब्त करने का अधिकार केन्द्रीय समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड, देहरादून को होगा। उपकरणों का प्रदर्शन तकनीकी भावपत्र का भाग होगा अर्थात प्रदर्शन में अर्ह पाये जाने पर ही फर्म को तकनीकी रूप से सफल घोषित किया जाय।

4.6 उपकरण जो कि End of life व End of Support की परिधि में होंगे, का क्रय नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रतिभागी फर्मों से प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात् केन्द्रीय क्रय समिति विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगी कि उपकरण ऐसी फर्मों से न खरीदे जाये, जो उनके स्पेयर पार्टस उपलब्ध कराने अथवा सर्विस कराने में सक्षम न हो अथवा यह सम्भावना हो कि फर्म सम्बन्धित उपकरण का विक्रय अथवा उत्पादन दीर्घकाल में नही कर सकेगी। प्रश्नगत उपकरण की सर्विस व स्पेयर पार्टस दीर्घकाल में प्राप्त हो इस हेतु अनुबन्ध भी किया जा सकता है और यह केन्द्रीय क्रय समिति का उत्तरदायित्व होगा। यदि आपूर्तिकर्ता फर्म उपलब्ध कराये गये उपकरण के सम्बन्ध में सर्विस, स्पेयर पार्टस आदि की सेवाऐं प्रदान करने में अक्षम रहती हैं, तो भविष्य में ऐसी फर्मों से उपकरण क्रय नही किया जायेगा एवं उनकी धरोहर राशि जब्त करने पर भी कार्यवाही की जाय।

4.7 निविदादात्री फर्म अगर मानक के अनुसार उपकरण की गुणवत्ता न होने के कारण दण्डित हुयी हो तो, ऐसी फर्म से उस उपकरण का क्रय नहीं किया जायेगा। इस हेतु फर्म से निविदा के समय Non Conviction प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाय।

4.8 चिकित्सालय में जहां उपकरण स्थापित किया जायेगा, उसके लिए एक परफॉरमेंस लॉग रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें मशीन/उपकरण के परफॉरमेंस/ब्रेक डाउन आदि का समावेश होगा, जिसका समय–समय पर परीक्षण अथवा अनुश्रवण विभिन्न अधिकारियों व सम्बन्धित चिकित्सालयों के अधीक्षको द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

4.9 उपकरण की आपूर्ति करने वाली फर्म को 80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रथम किस्त के रूप में तथा अवशेष 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान उपकरण के स्थापित होने तथा क्रियाशील होने पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र के पश्चात् किया जाय।

5. मात्रानुबन्ध के अन्तर्गत उपकरण की मात्रा में 50 प्रतिशत तक कमी व वृद्धि महानिदेशक स्तर पर की जा सकती है। इससे अधिक की मात्रा बढ़ाये जाने की स्थिति में राज्य सरकार/अध्यक्ष कार्यकारिणी, उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत) का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

6. राज्य के भौगोलिक सीमा के क्षेत्र में विर्निमित करने वाले लघु, कुटीर उद्योग इत्यादि को क्रय/मूल्य वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय–2 के नियम–32 एवं उक्त हेतु समय–समय पर किये जाने वाले संशोधन के अधीन ही प्रदान की जायेगी।

7. निविदा प्रक्रिया हेतु अन्य सामान्य निर्देश :–

7.1 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय–1 के नियम–31 के अनुसार उपकरणों की तकनीकी विशिष्टताओं का निर्धारण करते समय न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित कर ऐसे सभी प्रस्ताव, जो न्यूनतम अंको से अधिक प्राप्त करते हों, को वित्तीय स्पर्धा में प्रतिभाग कराया जाए।

7.2 प्रथम श्रेणी के उपकरणों के क्रय हेतु दरों में उपकरणों के 03 वर्ष की वारंटी तथा 4 वर्ष की सी0एम0सी0 (Comprehensive Maintenance Contract) सम्मिलित होगी। सी0एम0सी0 का भुगतान वारंटी की समय–सीमा के पूर्ण होने के उपरांत किया जायेगा। द्वितीय श्रेणी के उपकरणों पर उपरोक्त 03 वर्ष की शर्त को यथा आवश्यकता रखा जायेगा एवं दो वर्ष की

सी0एम0सी0 यथा आवश्यकता मांगी जा सकती है। टर्न–की प्रोजेक्ट व बडे उपकरणों के लिए सी0एम0सी0 की अवधि परीक्षणोपरांत गुण–दोष को दृष्टिगत रखते हुये एवं सेवायें संतोषजनक होने की स्थिति में बढ़ायी जा सकती है।

7.3 उपरोक्तानुसार क्रय किये गये उपकरणों की वारंटी व सी0एम0सी0 अवधि में उपकरण के अक्रियाशील होने की स्थिति में उपकरण को पुनः कार्यशील किये जाने हेतु एक युक्तियुक्त निश्चित समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा, जो कि अनुबन्ध का भाग होगा। इस प्रकार निर्धारित अवधि में यदि फर्म द्वारा उपकरण क्रियाशील नहीं किया जाता हैं, तो क्षतिपूर्ति के रूप में प्रति घंटे की दर से दण्डात्मक शुल्क का निर्धारण निविदा के समय किया जाएगा, जिसकी वसूली चिकित्सालय प्रभारी द्वारा फर्म से की जायेगी। वारंटी अवधि में इस प्रकार प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत भाग चिकित्सालय प्रबन्धन समिति में शेष 50 प्रतिशत धनराशि को कोषागार में नियमानुसार जमा किया जाएगा। यदि फर्म द्वारा वारंटी अवधि से पूर्व में निर्धारित अक्रियाशील अवधि के उपरांत की अवधि की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी के रूप में जमा धनराशि से उक्त धनराशि की वसूली की जायेगी एवं ऐसी परिस्थिति में सम्पूर्ण धनराशि कोषागार में जमा करायी जाएगी। सी0एम0सी0 अवधि में उक्तानुसार आंगणित धनराशि कटौती सी0एम0सी0 हेतु देय धनराशि से की जायेगी।

7.4 उपकरणों के क्रय करते समय आवश्यक सर्विस मैनुअल, ऑपरेशन मैनुअल, सर्विस डायग्राम व अन्य प्रकार के अभिलेख के साथ ही प्राप्त किये जाने का दायित्व सम्बन्धित चिकित्सालय के अधिकारी का होगा, जहां पर मशीन स्थापित की जा रही हैं साथ ही मशीन के चालू होने की सूचना भी सम्बन्धित चिकित्सालय के अधिकारी द्वारा महानिदेशक/निदेशक (भण्डार)/ शासन को उपलब्ध करायी जाय।

अध्याय–3

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय चिकित्सालयों के प्रयोगार्थ आर्थोपेडिक इम्पलांट्स के क्रय हेतु नीति निर्धारण –

1) राजकीय चिकित्सालयों के प्रयोगार्थ आर्थोपेडिक इम्पलांट्स के क्रय हेतु सामान्य प्रशासनिक शर्ते व विभिन्न क्रय समितियां उपरोक्त अध्याय–1 के बिंदु सं0 1, 8 व उसके उपनियमों तथा 10 के अनुसार ही होगी।

2) आर्थोपेडिक इम्पलांट्स के लिए आपूर्तिकर्ता फर्म/उत्पादक फर्म का विगत तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर कम से कम रू0 1.00 करोड़ प्रतिवर्ष औसत की दर से होना चाहिये। उक्त टर्नओवर होलसेल प्राइस के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। उपकरणों का क्रय उन्हीं फर्मों से किया जायेगा जिनका कि Net worth positive होगा। इस हेतु उन्हें सी0ए0 से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

3) राज्य के भौगोलिक सीमा के क्षेत्र में विर्निमित करने वाले लघु, कुटीर उद्योग इत्यादि को क्रय/ मूल्य वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय–2 के नियम–32 एवं उक्त हेतु समय–समय पर किये जाने वाले संशोधन के अधीन ही प्रदान की जाय।

4) उत्पादक फर्म को आपूर्ति किये जाने वाले आर्थोपेडिक इम्पलांट्स को बनाने एवं आपूर्ति का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा। यदि आपूर्तिकर्ता फर्म निविदा में प्रतिभाग करती है तो निविदा में प्रतिभाग करने हेतु मूल निर्माता फर्म से अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5) उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व आर्थोपेडिक इम्पलांट्स का प्रदर्शन भी लिया जायेगा, जिसमें आर्थोपेडिक इम्पलांट्स गुणवत्ता इत्यादि का समावेश होगा। जो फर्म तकनीकी बिड में क्वालिफाई कर लेगी ऐसी फर्म को प्रदर्शन में भाग लेना अनिवार्य होगा। यदि फर्म प्रदर्शन में प्रतिभाग नही करती हैं, तो ऐसी फर्म की ई0एम0डी0 जब्त करने का अधिकार तकनीकी समिति की संस्तुति पर महानिदेशालय स्तरीय केन्द्रीय क्रय समिति को होगा। आर्थोपेडिक इम्पलांट्स का प्रदर्शन

तकनीकी भावपत्र का भाग होगा अर्थात प्रदर्शन में अर्ह पाये जाने पर ही फर्म को तकनीकी रूप से सफल घोषित किया जायेगा।

6) निविदादात्री फर्म अगर मानक के अनुसार आर्थोपेडिक इम्पलांट्स की गुणवत्ता न होने के कारण दण्डित हुई हो, तो ऐसी फर्म से आर्थोपेडिक इम्पलांट्स का क्रय नही किया जायेगा। इस हेतु फर्म से निविदा के समय Non Conviction प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाय।

7) आर्थोपेडिक इम्पलांट्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानकों एवं प्रमाण–पत्र का निर्धारण महानिदेशक द्वारा आर्थोपेडिक इम्पलांट्स से सम्बन्धित 02 विषय विशेषज्ञ की संस्तुति के आधार पर करेंगे।

8) आर्थोपेडिक इम्पलांट्स के क्रय हेतु निविदा प्रपत्रों, शुल्क आदि व अन्य शर्तों का निर्धारण महानिदेशक द्वारा उपरोक्तानुसार दिये गये मार्ग दर्शन के आधार पर समिति गठित कर किया जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–616/XXVII(7)/2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या– 712 (1)/XXVIII-3-2019-15/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर निदेशक, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
10. औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
11. समस्त सदस्यगण।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0 ।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शेव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।